संख्याः 112 /06–XIX–2/13 वि0(रबी खरीद)/2005

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल देहरादून

2. जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौड़ी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत।

3. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग।
हल्द्वानी/देहरादून।

4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तरांचल देहरादून।

5. अपर निबन्धक,
उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ,
उत्तरांचल, देहरादून।

6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून दिनॉक 29 मार्च, 2006

विषयः– रबी कय विपणन वर्ष 2006–07 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ कय की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी खरीद वर्ष 2006–07 में कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गेहूँ का कय निम्नांकित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगाः–

1. गेहूँ का मूल्य

भारत सरकार के पत्रांक 160(2)/2005–पी0वाई0–1, दिनॉक 21.10.2005 द्वारा रबी विपणन सत्र 2006–07 के लिए अच्छे औसत किस्म के गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 650.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत् है : –

| फसल | न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल |
|---|---|
| गेहूँ | 650.00 |

2. गेहूं की गुण विनिर्दिष्टयॉ

उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7–1/2006–S&I दिनांक–28.02.2006 द्वारा निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गेहूँ कय किया जायेगा जो (परिशिष्ट–1) पर संलग्न है ।

.....2.....

## 3. कय एजेन्सियॉं एवं खरीद का लक्ष्य

(क) शासन द्वारा रबी कय योजना वर्ष 2006–07 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ कय करने हेतु निम्नलिखित कय एजेन्सियॉं नामित की गयी है। कय एजेन्सिसों तथा उनके द्वारा खोले जाने वाले कय केन्द्र तथा एजेन्सियों के लिए निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

| क0सं0 | कय एजेन्सी का नाम | केन्द्रो की संख्या | लक्ष्य मी0 टन में |
|---|---|---|---|
| 1. | खाद्य विभाग (विपणन शाखा) | 29 | 25,000 |
| 2. | भारतीय खाद्य निगम | 30 | 30,000 |
| 3. | उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ | 185 | 1,40,000 |
| 4. | उत्तरांचल ऐग्रो इकाई | 05 | 5,000 |
| | योगः– | 249 | 2,00,000 |

गेहूँ का कय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 1.00 लाख मी0टन का संग्रहण स्टेट पूल में तथा शेष कय किया जाने वाला गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य संस्थायें गेहूँ क्रय का कार्य करने में रूचि दिखाती है और आवेदन करती है तो गुण दोष के आधार पर उन संस्थाओं को गेहूँ क्रय कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) यहॉं यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये गये प्रत्येक कृषक का गेहूँ खरीदा जायेगा, चाहे वह सहकारी समिति का सदस्य हो अथवा न हो। उनके द्वारा ऐसी भी शर्त नहीं लगायी जायेगी कि पहले किसान द्वारा उनके बकाया का भुगतान किया जाये, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

## 4. समय सारिणी

रबी विपणन वर्ष 2006–2007 में गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक व्यवस्था विषयक समय सारिणी, शासनादेश संख्या–78/06–XIX–2/13 वि0/05, दिनांक– 03 मार्च, 2006 के द्वारा समस्त सम्बन्धित को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सभी संबंधित यथासमय तद्नुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

## 5. जिला खरीद अधिकारी का नामांकन

उत्तरांचल में रबी विपणन सत्र 2006–2007 में गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसका गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न क्रय एजेंसियों एवं भण्डारण एजेंसी के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

.....3.....

**क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना**

जनपद में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन अतिरेक (Marketable Surplus) की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ के आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा संभागीय खाद्य नियंत्रक के सहयोग से किया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुए ग्रामों के सम्बद्धीकरण के आधार पर कय केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। कय केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रामों की किसानवार सूचियाँ सम्बन्धित संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। यदि किसी किसान का नाम सूची से छूट गया हो तो आवश्यक जॉच के बाद जिलाधिकारी उसके गेहूँ को खरीदने की अनुमति दे सकते है। क्रय केन्द्र खोलने में यह विशेषकर ध्यान देने योग्य है, कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक संख्या में क्रय केन्द्र न खोले जाये। ऐसी भी स्थिति न उत्पन्न हो कि किसानों को अपने खेतों से बहुत दूर गेहूँ ले जाना पड़े क्योंकि इससे "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उपलब्ध होंगे। अतः क्रय केन्द्रों के स्थान, निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि 10 कि0मी0 की परिधि में कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2006–2007 में जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने क्रय केन्द्रो की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के अन्तर्गत गेहूँ क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियां जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेगी। क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम 01 अप्रैल, 2006 तक निश्चित रूप से खुल जाय तथा खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित कर ली जाये। क्रय केन्द्र निर्धारित करते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि विगत वर्षो में जिन क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद नही हुई है एवं इस वर्ष भी उन केन्द्रों पर गेहूँ आने की सम्भावना न हो तो उन क्रय केन्द्रों को अनावश्यक रूप से खोलना उचित नही होगा, क्योकि उससे उन केन्द्रों पर स्टाफ की तैनाती एवं व्यवस्था का औचित्य नही रह जाता है।

यदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूँ की आवक नही होती है एवं गेहूँ का स्थानीय मण्डियों में बाजार भाव समर्थन मूल्य के आस–पास रहता है तो गेहूँ खरीद के लक्ष्य की पूर्ति करने के निमित्त क्रय एजेन्सिया सब सैन्टर स्थापित कर सकती है एवं आवश्यकता समझे जाने पर गेहूँ खरीद कार्य हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से मोबाईल टीम भी गठित कर सकती है, ताकि गेहूं के बड़े उत्पादकों से उनके खेत/खलिहान से भी गेहूँ की खरीद की जा सकें। क्रय एजेन्सियों द्वारा सब–सैन्टर खोलने अथवा मोबाईल टीमें गठित करने पर उनका अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय एवं उसकी सूचना शासन/खाद्यायुक्त/सम्बन्धित संभागीय खाद्य नियंत्रक/भारतीय खाद्य निगम को अवश्य भेजी जाय।

## 7. क्रय एजेंसियों को बोरे उपलब्ध कराना

(1) भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गेहूँ खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। वर्ष 2006–2007 में केवल 50 कि0ग्रा0 भर्ती वाले एस0बी0टी0 बोरे ही प्रयुक्त किये जायेंगे। गेहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर न्यूनतम एक गांठ बोरों की हर समय उपलब्ध रहेगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार बोरों की व्यवस्था स्वयं की जायेगी। यदि राज्य सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध 13.00 लाख एस0बी0टी0 बोरों के अतिरिक्त भी गेहूँ क्रय हेतु बोरो की आवश्यकता होती है तो उसे उधार–आधार पर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त कर लिया जायेगा, जिसके लिए गेहूँ खरीद व्यवस्था विषयक मा0 मन्त्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल की अध्यक्षता में

.....4.....

सम्पन्न बैठक दिनांक–03.03.2008 में सामान्य प्रबन्धक/वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(2) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ, उत्तरांचल ऐग्रो इकाई अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं को बोरों की आपूर्ति, संभागीय खाद्य नियंत्रक, द्वारा संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित मांग पर प्रारम्भ में अप्रैल माह की आवश्यकता के अनुसार उधार आधार पर की जायगी तथा अनुवर्ती मांग पर बोरे तभी दिये जायेंगे, जब पूर्व में उधार आधार पर दिये गये बोरों के मूल्य का भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा कर दिया जाय। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्धतानुसार गोदामों से आवंटित बोरों के उठान एवं आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर सुलभ कराने का दायित्व संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय समन्वयक अधिकारी का होगा।

8. <u>गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान</u>

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कय एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए अपने द्वारा संचालित कय केन्द्रों पर जितनी मात्रा में गेहूँ की खरीद की जायेगी, उस मात्रा के लिए किसानों को भुगतान हेतु धन की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।

(2) खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा संचालित कय केन्द्रों में कय किए जाने वाले गेहूँ के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत कराई जाने वाली कैश केडिट लिमिट से अग्रिम के रूप में धन उपलब्ध कराया जायेगा। यह धन रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रहेगा।

(3) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F) के द्वारा अपने कय केन्द्रों पर गेहूँ कय के लिए सहकारी बैकों के माध्यम से रिवाल्विंग फण्ड से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। कय किए गए गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यदि उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F) द्वारा कैश केडिट लिमिट से धन की मांग की जाती है तो इसके लिए उनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। ब्याज की शर्तें वही होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(5) राज्य सरकार की कय एजेन्सियों (खाद्य विभाग एवं उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा उत्तरांचल ऐग्रो इकाई) द्वारा किसानों से कय किए गए गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी ताकि Flow of Funds लगातार बना रहें।

(2) कृषकों से कय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने में तत्परता सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसी प्रकार के विलम्ब से उन्हें असंतोष न रहें। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तदनुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, संबंधित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए बैकों में " Wheat Purchase Account" के नाम से चालू खाता खोलकर कय एजेंसियों अपने नियमों के अनुसार काश्तकारों को भुगतान सुनिश्चित करेगी। उत्पादको/कृषकों को गेहूँ के मूल्य के रूप में मिलने वाली धनराशि की सुरक्षा की दृष्टि से रूपये 10,000/–(रू0 दस हजार मात्र) तक की धनराशि के चैक आर्डर अंकन तथा रूपये 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) या उससे अधिक के चैक "क्रास्ड" अंकन कर निर्गत किये जायेगे। यदि कोई छोटा काश्तकार जिसको कुल देय धनराशि रूपये 5,000/–(रू0 पांच हजार मात्र) से अनधिक हो, और वह लिखित रूप से यह अनुरोध करें कि उसे आर्डर चैक न देकर "बेयरर चैक" निर्गत किया जाय तो उसे बेयरर चैक दिया जा सकता है, किन्तु चैक निर्गत करने से पूर्व उसे इस तथ्य की जानकारी दी जाए कि बेयरर चैक से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका भुगतान ले लिये जाने पर, उसकी जिम्मेदारी चैक प्राप्तकर्ता की होगी। सभी कय एजेंसियों द्वारा भुगतान से संबंधित उपरोक्त सामान्य अनुदेशों का कडाई से पालन किया जायेगा।

.....5.....

खाद्य आयुक्त स्तर पर, स्टेट पूल में क्रय किये किये जाने वाले गेहूँ के लिए धन की व्यवस्था, ०सी०एल० तथा सब्सिडी के माध्यम से करने, फ्लो ऑफ फण्ड्स बनाये रखने, सी०सी०एल० से प्राप्त धनराशि क को वापस करने तथा क्रय केन्द्रों को निर्गत धनराशियों का समायोजन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त यंत्रक का होगा।

क्रय केन्द्रों पर सुविधायें

) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व उत्तरांचल ज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद का है। तदनुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय न्द्रों पर कृषकों की सुख सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये:–

- (क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट।
- (ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलास मिट्टी के मटके एवं वाटरमैन आदि।
- (ग) बैलगाड़ी, ट्रक, ट्राली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल एवं जानवरों को पानी पिलाने के लिए नॉद एवं पानी की व्यवस्था।
- (घ) कृषकों को बैठने कि लिये तख्त, दरी एवं साया के लिए शैड/शामियाना आदि।
- (च) गेहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने एवं पंखे।
- (छ) असामयिक वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गेहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।
- (ज) गेहूँ से भरे बोरों की सिलाई हेतु स्टिचिंग मशीन की व्यवस्था।

2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उससे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की ओर से यह व्यवस्था क्रय एजेंसी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगा:–

| क्र0सं0 | क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा | अनुमन्य व्यय सीमायें |
|---|---|---|
| 1 | सीजन में 250 मी0टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र | रूपये 5,000/– प्रति केन्द्र |
| 2 | सीजन में 251 से 600 मी0टन खरीद वाले क्रय केन्द्र | रूपये 10,000/– प्रति केन्द्र |
| 3 | सीजन में 600 मी0टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र | रूपये 15,000/– प्रति केन्द्र |

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरांचल मण्डी निदेशक द्वारा इस संबंध में अपने विभाग की ओर से मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

10. हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान

(1) क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों द्वारा लाये गये गेहूँ की बोरों में भराई, स्टैन्सिलिंग, सिलाई, तुलाई एवं ट्रकों में लोडिंग आदि कार्यो के लिए हैण्डलिंग ठेकेदारो की नियुक्ति का कार्य संबंधित क्रय एजेंसी द्वारा किया जायेगा। ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये ताकि खरीद में कठिनाई न हो।

...............6............

शासन ने निर्णय लिया है कि हैण्डलिंग ठेकेदारों को उनकी सेवाओं के लिए स्थानीय प्रचलित दर पर अथवा निम्नलिखित उच्चतम दरों, जो भी कम हो, के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये:—

| क्र0सं0 | मद | प्रति कुन्टल अधिकतम दर (रूपये में) | |
|---|---|---|---|
| | | 95 कि0ग्रा0 | 50 कि0ग्रा0 |
| 1. | खाद्यान्नों को बोरों में भर्ती कराकर भराई, तुलाई, बॉट तथा माप, सुतली का प्रबन्ध, 16 टॉको की सिलाई | 2.00 | 3.30 |
| 2. | भरे बोरों के स्थानीय चट्टे लगाना | 0.60 | 1.00 |
| 3. | स्थानीय चट्टे से उठाकर ट्रक पर लदायी | 0.60 | 1.00 |
| 4. | भरे बोरों को स्थानीय चट्टे से हटाकर गोदाम/ अहाते में 16 छल्ली तक पक्के चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरों को उतरवाकर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी | 0.70 | 1.20 |
| | योग:— | 3.90 | 6.50 |

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रायः हैण्डलिंग ठेकेदार कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। ठेकेदारों की इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से हैण्डलिंग ठेकेदारों को 95 कि0ग्रा0 तथा 50 कि0ग्रा0 भर्ती के बोरों की उपरोक्तानुसार हैण्डलिंग के लिये क्रमशः रूपया 2.00 एवं रूपया 3.30 प्रति कुन्टल से कम दर पर ठेका बिल्कुल न दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों, जिनका कार्य खराब पाया जाये और उनकी शिकायतें प्राप्त हुई हो तो गुण—दोष के आधार पर भविष्य में उन्हें ठेकेदार न नियुक्त किया जाये।

(4) हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, जमानत की धनराशि जमा कराने तथा अनुबंध पत्र भरने की कार्यवाही पूर्व में जारी शासनादेश संख्या—813/29—खा0—5—5(5)/89 दिनांक 07 अप्रैल, 1989 के अनुसार की जायेगी।

11. क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरों की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति

(1) रबी खरीद वर्ष 2006—2007 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी जिसके तहत 1.00 लाख मी0टन गेहूँ का सम्प्रदान स्टेट पूल में तथा क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में एकरूपता बनाये रखने के लिए ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों को भुगतान के लिए दरों के निर्धारण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। दरों का निर्धारण करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी,भारतीय खाद्य निगम,लोक निमार्ण विभाग,सिचाई विभाग तथा ट्रान्सपोर्ट यूनियनों से प्रचलित दरें ज्ञात की जायेगी तथा डीजल की दरों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर खाद्यान्न एंव बोरों के परिवहन हेतु दरों का निर्धारण तथा

..............7.............

**शासनादेश सं0-966/XIX/2005, दिनांक 18 जून, 2005 के अनुसार की जायेगी।**
**की व्यवस्था के लिए शासनादेश सं0-966/XIX/2005, दिनांक 18 जून, 2005 को ध्यान में रखकर की**
**शिष्ट-2) के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सांकेतिक दरों की भाँति प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखकर की**
गी।

ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को टेण्डर के आधार पर नियुक्त करने में वही मापदण्ड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी रबी खरीद वर्ष 2005-06 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में अपनायी जाती रही है। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार न नियुक्त किया ।। यदि अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में खाद्यान्न व्यापारियों को नियुक्त करना ही पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों ठेकेदार नियुक्त किया जाये, जिनके विरूद्ध कोई शिकायत न हो। ठेकेदारों की नियुक्ति में पुराने, अनुभवी ा ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, जिनके पास अपने ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व धित जिलाधिकारी एवं संबंधित क्रय एजेंसी का होगा कि ठेकेदार गेहूँ खरीद में बिचौलियों का कार्य न करने ये।

) नियुक्त ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के जिस्ट्रेशन नम्बर सभी संबंधित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जाये कि ब भी वह ट्रकों को राजकीय खाद्यान्न के परिवहन हेतु भेजे तो ट्रक ड्राईवर के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर त्यापित करके भेजे। ताकि केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से भेजा गया है।

4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आंकलन कर अनुबंध त्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता नियुक्त ठेकेदार के पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार से अनुबंध पत्र भराने के बाद ही कार्य कराना प्रारम्भ किया जाये।

(5) ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार से रूपये 15,000/- की नकद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (जिस वर्ष अधिकतम खरीद हुई थी के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि के बराबर फैडिलिटि गारन्टी बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबन्ध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सम्पन्न करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ संबंधित जिलाधिकारी/संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 5,000/- तक रख सकते है, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही से शासन को कोई हानि न हो। यदि ट्रांसपोर्ट ठेकेदार से गेहूँ के संचरण में कोई क्षति होती है तो उससे इस क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जायेगी। इस शर्त को भी अनुबन्ध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण संबंधित क्रय एजेंसी के वित्त नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण केअनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबन्ध भराने आदि की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

## 12. क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कॉटा-बॉट का सत्यापन

क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बॉट तथा माप का सत्यापन समय समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा। संबंधित विधिक बाट माप निरीक्षक 01 अप्रैल से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ क्रय योजना 2006-07 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कॉटा-बॉट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर दिया जाए। साथ ही समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि क्रय केन्द्रों पर सही बाट तथा कॉटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईंट, पत्थर अथवा इस प्रकार के

..............8..........

मानक बॉटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बॉट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। किसी भी दशा घटतौली तथा बढ़तौली की शिकायत न होने पाये।

13. **क्रय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया**

यदि किसी क्रय एजेंसी को क्रय हेतु भूमि किराये पर लेनी पड़ती है तो किराया भुगतान उसके द्वा अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से किया जायेगा, इसके लिए शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं जायेगी। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी0 क्षेत्रफल लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

14. **क्रय अवधि**

01 अप्रैल, 2006 से मण्डी में गेहूँ की आवक होने के साथ ही समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह क्रय अवधि 30 जून 2006 तक रहेगी। मितव्ययता की दृष्टि से और क आवक के कारण यदि कोई क्रय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे क्रय केन्द्रों बन्द करने का निर्णय स्वविवेकानुसार ले सकते है। सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 07 बजे से सायंकाल 07 बजे त खुले रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर क्रय समय की वृद्वि की जा सकती हैं। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों भी क्रय केन्द्र नियमित रूप से खुले रहेगें।

15. **स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था**

गढ़वाल संभाग में गेहूँ की खरीद अपेक्षाकृत कुमायूँ संभाग के सापेक्ष नगण्य होने एवं गढ़वाल संभाग क विभिन्न योजनाओं में गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ संभाग/गढ़वाल संभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा उत्तरांचल ऐग्रो इकाई द्वा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम आयुक्त, खाद्य के स्तर से जारी किया जायेग जिसमें कुमायूँ /गढ़वाल संभाग के गेहूँ, क्रय केन्द्रों से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु संचरण की व्यवस्था सुनिश्चि की जायेगी, ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ संभाग के साथ–साथ गढ़वाल संभाग में भी आवंटन व अनुरुप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर हेतु गेहूँ की आपूर्ति चावल की भाँति ऋषिकेश केन्द्र से की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने–अपने संभाग में भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ–साथ अन्तर–संभाग (inter-regional) गेहूँ का ऐस संचरण/भण्डारण करायेंगे कि आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

16. **क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख–रखाव**

प्रत्येक क्रय एजेंसी द्वारा क्रय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे:–

1. आवक–क्रम एवं टोकन रजिस्टर
2. पर्ची काश्तकार
3. क्रय पंजिका
4. स्टॉक रजिस्टर
5. रिजेक्शन रजिस्टर
6. निरीक्षण पंजिका
7. बैंक लेखा पंजी/चैक बुक/निर्गत चैकों की विवरण पंजिका
8. मूवमेन्ट चालान बुक

..............9..........

9. शासनादेश की पत्रावली
10. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली
11. शिकायत पुस्तिका

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका दिखाई जायेगी।

17. **खरीद प्रक्रिया**

(1) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ सीधे किसानों से क्रय किया जायेगा। यह पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है और पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ लाने वाले प्रत्येक किसान का गेहूँ खरीदा जायेगा चाहे वह उस संस्था/समिति का सदस्य हो अथवा नहीं । सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जायेगी कि किसान पहले उनके बकाया का भुगतान करें, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

(2) राज्य के सूचना विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा क्रय योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा। संबंधित मण्डी समितियॉ भी इस आशय का प्रचार करेगीं कि किसान अपना गेहूँ साफ कर एवं सुखा कर क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लाये, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषक द्वारा साफ गेहूँ नहीं लाया जाता है तो उसे क्रय करने से पूर्व दो जाली वाले छलने से भली प्रकार अनिवार्यतः साफ कराकर ही क्रय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु क्रय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जाये। यदि किसी कृषक द्वारा स्वंय गेहूँ साफ न करके, गेहूँ की सफाई का कार्य हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो काश्तकार से मण्डी समिति द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित दर से सफाई का मूल्य उसके भुगतान के समायोजन द्वारा लिया जायेगा। किसी सी दशा में क्रय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(3) क्रय केन्द्र पर निर्धारित गुण–निर्दिष्टयों का ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गुण–निर्दिष्टयों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर क्रय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा, जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों को प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना क्रय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बडे अक्षरों में "प्रतिनिधि नमूना" लिखा होगा। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी क्रयकर्ता एजेन्सी की होगी। स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कमी पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा क्रय एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

(4) सामान्यतः एक दिन में एक कॉटे में 1,000 बोरे अर्थात 500 कुन्तल से अधिक की तुलाई नही हो सकेगी। क्रय एजेन्सी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस ( Marketable surplus) के आधार पर कांटों की संख्या का निर्धारण कर लेगें। कांटों की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायगा कि इनको देखने के लिए स्टाफ पर्याप्त हो तथा क्रय अवधि अनावश्यक रूप से अधिक न हो जॉय।

(5) जैसे ही क्रय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जॉच की जायगी। केन्द्र प्रभारी के पास उपलब्ध ग्रामवार सूचियों में किसान का नाम तथा उसके पास उपलब्ध मात्रा देखकर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को गेहूँ लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ क्रय कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से क्रय केन्द्रों पर रूकना न पड़ें।

.....10.....

(6) गेहूँ की बोरों में भराई, सिलाई तथा सटैंलिरिंग के संबंध में निम्न व्यवस्था रहेगीः –

(क) बोरों में 50 किग्रा0 गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।

(ख) बोरों की सिलाई मशीन अथवा 16 टांको से मजबूत सुतली से की जायेगी।

(ग) प्रत्येक बोरे पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, कय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/कय एजेन्सी/कय केन्द्र का कोड नम्बर अंकित होगा।

कोड नं0 निम्न प्रकार होंगे : –

| (अ) | कय एजेन्सी का नाम | कोड नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | खाद्य विभाग (विपणन शाखा) | 01 |
| 2. | भारतीय खाद्य निगम | 02 |
| 3. | उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ | 03 |
| 4. | उत्तरांचल ऐग्रो इकाई | 04 |

| (ब) | जनपद का नाम | कोड नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | देहरादून | 001 |
| 2. | पौड़ी | 002 |
| 3. | हरिद्वार | 003 |
| 4. | नैनीताल | 004 |
| 5. | उधमसिंह नगर | 005 |
| 6. | चम्पावत | 006 |

कय केन्द्रों के कोड कय एजेन्सियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, भारती खाद्य निगम एवं शासन को दिनॉक 01 अप्रैल, 2006 से पूर्व सूचित किये जायेंगे।

भारत सरकार के पत्र सं0–15(10)/2003–पी0वाई0–III, दिनांक 24–11–05 के अनुसार गेहूँ के बो की कलर कोडिंग निम्नवत् की जायेगीः–

1. प्रत्येक बोरे पर 15 मि0मी0 की दूरी पर किसी भी एक छोर पर "हरा रंग"।
2. स्टेन्सिल या ब्राडिंग "नीला रंग"।
3. बोरे भरने के पश्चात् मुँह के हिस्से पर सिलाई "हरा रंग"।
4. बोरे के बीच में लम्बाई पर एक नीले रंग की अकेली स्ट्रिप होगी।

उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैंसिलिंग व साफाई न करने पर कय एजेन्सियॉ ठेकेदार से यथास्थिति नि प्रकार कटौतियॉ करेंगी : –

| क्र0सं0 | विवरण | कटौती की दर |
|---|---|---|
| 1. | खराब सिलाई 16 टॉकों से कम | रू0 0.10 पैसे प्रति बोरा |
| 2. | स्टैंसिलिंग न करना/खराब करना | रू0 0.15 पैसे प्रति बोरा |
| 3. | गेहूँ में जीवित घुन पाया जाना (फ्यूमिगेशन चार्जेज) | रू0 0.50 पैसे प्रति बोरा |

(7) यदि कय केन्द्र पर किसी कारण किसान का गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो रि रजिस्टर में कृषक का नाम, उसका पूरा पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्र अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित जायेगा। इस कारण की सूचना कृषक को भी दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर मांग किये जाने पर कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

.....1

य नहीं होगी।

## भारतीय खाद्य निगम को कय किये गये गेहूँ का सम्प्रदान

(1) गेहूँ का कय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 1.00 लाख मी0ट0 का सम्प्रदान/संग्रहण स्टेट पूल में तथा कय किया जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(2) कय केन्द्र से स्टेट पूल डिपोज/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक गेहूँ की ढुलाई संबंधित कय एजेन्सियों द्वारा कराई जायेगी।

(3) जिला प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कय केन्द्रों को डिपो डिलीवरी बिन्दुओं से सम्बद्ध करने के लिए मूवमेन्ट प्लान उपलब्ध कराया जायेगा। खरीदा गया गेहूँ कय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से जमा न हों, इसके लिये आवश्यक है कि गेहूँ का संचरण खरीद केन्द्रों द्वारा खरीद के दिन से ही प्रारम्भ किया जाये।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ के सम्प्रदान/संग्रह हेतु क्रय केन्द्रों को स्टेट पूल से संबद्ध करने हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मूवमेन्ट प्लान तैयार किया जायेगा।

(4) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर प्रत्येक कय एजेन्सी द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर जो ट्रक सांयकाल 5 बजे तक पहुँच जायेगा उनकी उतराई उसी दिन की जायेगी।

(5) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ का लोडेड ट्रक पहुँचने पर ट्रक का विवरण गेट प्रवेश पंजिका में अंकित करके ड्राईवर को टोकन दिया जायेगा। जिसमें ट्रक के डिपो पर पहुँचने की तिथि तथा कम संख्या का उल्लेख होगा। भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर कम संख्या के अनुसार ही ट्रकों की अनलोडिंग की जायेगी।

(6) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ की डिलीवरी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर वे–ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है ताकि शत प्रतिशत तौल सुनिश्चित हो सके, परन्तु जहाँ यह सुविधा न हो वहाँ गेहूँ के बोरों की 10 प्रतिशत तौल के आधार पर डिलीवरी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) भारतीय खाद्य निगम/स्टेट पूल डिपोज द्वारा स्टाक के स्वीकृति के 24 घन्टे के अन्दर संबंधित कय एजेन्सी को गेहूँ का एक्नालेजमेंट दिया जायेगा तथा कय एजेन्सी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 72 घन्टे के अन्दर भुगतान कर लिया जायेगा। कय एजेन्सियों को यह दायित्व होगा कि वह भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिदिन एक्नालेजमेन्ट प्राप्त करेंगे।

## 19. सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी विवाद का निराकरण

सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी विवादों के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(1) विवाद की दशा में भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित कय एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए कय एजेन्सी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

.....12.....

स्टेट पूल में गेहूँ की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए क्रय एजेन्सी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे : –

(अ) भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबन्धक।

(ब) सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी।

(स) उप संभागीय विपणन अधिकारी।

## 20. खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना

राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा। नियंत्रण कक्ष का नम्बर 2740778 तथा फैक्स संख्या 2740778 होगा। नियंत्रण कक्ष प्रातः 9:00 बजे से सांय 8:00 बजे तक खुला रहेगा। इसी प्रकार संभाग स्तर पर खरीद नियंत्रण कक्ष संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारियों के कार्यालयों में स्थापित किये जायेंगे। संभाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित गेहूँ खरीद से संबंधित सूचना परिशिष्ट–3 पर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल के कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। गेहूँ से संबंधित एजेन्सीवार तथा जनपदवार सूचनायें **परिशिष्ट–3** के प्रपत्र में प्रभारी नियंत्रण कक्ष द्वारा अपर आयुक्त/आयुक्त को प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी, तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा रेडियोग्राम/फैक्स के माध्यम से शासन/भारत सरकार को प्रेषित की जाया करेंगी।

## 21. गेहूँ क्रय कार्य का अनुश्रवण

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा क्रय एजेन्सी एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) सम्भाग स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा बोरों की व्यवस्था, गेहूँ खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान आदि कार्यों की नियमित समीक्षा की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा क्रय एजेन्सियों के अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक करेंगे और गेहूँ खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन को नियमित रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ द्वारा संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ तथा संबंधित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तरांचल सहकारी विपणन संघ विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (गेहूँ खरीद योजना के क्रियान्वयन के संबंध में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेगें।

## 22. क्रय केन्द्रों का निरीक्षण

(1) रबी विपणन वर्ष सत्र 2006–07 में स्थापित क्रय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार,

खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रकिया में बिचौलिये कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

(2) निरीक्षण कार्य, पी0ओ0एल0 एवं गाडी अनुरक्षण आदि पर व्यय संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किया जायेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों को उपरोक्त मदों से रबी क्रय योजना 2006–07 में लेखाशीर्षक "4408" में धनराशि का आवंटन पृथक से किया जायेगा।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित हो जाने की प्रत्याशा में उपरोक्त गेहू खरीद नीति जारी की जा रही है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार रबी क्रय योजना 2006–07 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ **खरीद की प्रभावी व्यवस्था की जावे।**

भवदीय,

/

(मदन सिंह)

सचिव।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

संख्या– 112 (1)/06–XIX–2/13 वि0 (रबी खरीद)/2005, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढवाल।
5. आयुक्त, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
6. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोक नार्थ।
9. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तरांचल देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
11. जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम देहरादून एवं हल्द्वानी।
12. निबन्धक, सहकारिता, उत्तरांचल देहरादून।
13. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य कुमायूँ एवं गढवाल सम्भाग।
14. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तरांचल।
15. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तरांचल देहरादून।
16. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(मदन सिंह)

सचिव।

विकास अधिकारियों द्वारा गेहूँ

मय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और
केसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रकिया में बिचौलिये कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान
देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

(2) निरीक्षण कार्य, पी0ओ0एल0 एवं गाडी अनुरक्षण आदि पर व्यय संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागीय
बजट से वहन किया जायेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों को उपरोक्त मदों से रबी कय योजना 2006–07 में
लेखाशीर्षक "4408" में धनराशि का आवंटन पृथक से किया जायेगा।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ MOU
हस्ताक्षरित हो जाने की प्रत्याशा में उपरोक्त गेहू खरीद नीति जारी की जा रही है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार रबी कय योजना 2006–07 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ
खरीद की प्रभावी व्यवस्था की जाये।

भवदीय,
/
(मदन सिंह)
सचिव।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

संख्या– 112 (1)/06–XIX–2/13 वि0 (रबी खरीद)/2005, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तरांचल शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
5. आयुक्त, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
6. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तरांचल देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
11. जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम देहरादून एवं हल्द्वानी।
12. निबन्धक, सहकारिता, उत्तरांचल देहरादून।
13. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
14. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तरांचल।
15. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तरांचल देहरादून।
16. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

आज्ञा से,
(मदन सिंह)
सचिव।

No.7-1/2006-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
(Department of Food & Public Distribution)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated : 28th February, 2006

To

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of...Uttranchal

Subject: **Uniform Specifications for Wheat & Barley for the Rabi Marketing Season 2006-2007.**

Sir,

The Uniform Specifications decided by the Government for procurement of wheat and Barley stocks for the Central Pool during Rabi Marketing Season 2006-2007 is forwarded herewith.

It is requested that the procurement of wheat & Barley stocks by all procuring agencies be ensured strictly in accordance with these specifications. It is also requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that the farmers get the due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The farmers may also be advised to offer only dry and clean stocks. Procurement of stocks with moisture content above 12% and infestation be discouraged.

Receipt of this communication may please be acknowledged.

(मदन सिंह)
सचिव
एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तरांचल शासन

Encl: As above

Yours faithfully,

( S.K. Srivastava )
Joint Commissioner(S&R)
Tel:23387334

Contd./-

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, FCI, New Delhi.
2. The Executive Director(Commercial),FCI, New Delhi.
3. General Manager(QC),FCI, New Delhi.
4. General Manager(Marketing & Procurement),FCI, New Delhi.
5. All Zonal Executive Directors, FCI.
6. The Managing Director, CWC, New Delhi.
7. The Secretary to the Government of India, Deptt. of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan,New Delhi.
8. Senior PPS to Secretary(F&PD)/PPS to AS&FA/ JS(Impex & EOP)/JS(P & FCI)/JS(Stg.)/ JS(BP&PD)
9. Director(P)/Director(FCI)/DS(PD)/Director(Finance)/JC(S&R)
10. All SGC/IGMRI/QCC Offices
11. US(BP-I) US(BP-II)/US(Py.I, II, IV)
12. DC(S&R)/DD(S)/DD(TFC)/DD(SGC)/DD(QCC)/AD(Lab)/AD(S)/ AD,QCC(I/II/III)/AD(SGC)
13. Director(Technical),NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

28/7/05

( B.C.Joshi )
Deputy Director(S&R)
Tel: 23384398

## UNIFORM SPECIFICATION FOR BARLEY FOR RABI MARKETING SEASON 2006 –2007

Barley shall :

a) be the dried mature grains of Hordeum vulgare.
b) have uniform size, shape and colour.
c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.
d) be in sound merchantable condition.
e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter, pesticide and any obnoxious and toxic material.
f) Conform to PFA Rules.

**Schedule showing maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Barley**

| Foreign Matter % | Other foodgrains % | Damaged grains % | Slightly damaged & touched grains % | Immature & Shrivelled grains % |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 |

NOTE.

1. Within the overall limits of foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.5%, of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2 % by weight respectively.

2. Moisture in excess of 12% and up to 14% is to be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

Contd /-

3. For weevilled grains determined by count, the following price cuts, in addition to the other cuts, if any, will be imposed:

   i) from the beginning of the season till the end of August, the rate of cut will be @ Re. 1/- per qtl. for every 1% or part thereof.
   ii) from Ist September till the end of October, no cut will be imposed upto 1% while for any excess, the cut will be @ Re. 1/- per qtl. for every 1% or part thereof.
   iii) from 1st November till end of the season, no cut will be imposed upto 2% while for any excess, the cut will be @ Re.1/- per qtl. for every 1% or part thereof
   iv) Stocks containing weevilled grains in excess of 3% will be rejected.

4. In case of stocks having living infestation , a cut at the rate of Re 1/- per quintal may be charged as fumigation charges.

**Method of Analysis**

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I & II ) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS ; As contained in BIS Specifications No. 2813-1995.

-------------------------

**UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES FOR RABI MARKETING SEASON 2006 -2007**

Wheat shall:

a) be the dried mature grains of, Triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T. durum ,T. aestivum and T.dicoccum.

b) have natural size, shape, colour and lustre.

c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.

d) be in sound merchantable condition.

e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus sativus (khesari) in any form, colouring matter, and any obnoxious, deleterious and toxic material.

f) Conform to PFA Rules.

**Schedule showing the maximum permissible limits of different refractions in Fair Average Quality of Wheat**

| Foreign Matter % | Other foodgrains % | Damaged grains % | Slightly damaged grains % | Shrivelled and Broken grains % |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 |

**NOTE**

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.

2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.

3. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.

28/5/06

Contd./-

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, FCI, New Delhi.
2. The Executive Director(Commercial),FCI, New Delhi.
3. General Manager(QC),FCI, New Delhi.
4. General Manager(Marketing & Procurement),FCI, New Delhi.
5. All Zonal Executive Directors, FCI.
6. The Managing Director, CWC, New Delhi.
7. The Secretary to the Government of India, Deptt. of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhawan,New Delhi.
8. Senior PPS to Secretary(F&PD)/PPS to AS&FA/ JS(Impex & EOP)/JS(P & FCI)/JS(Stg.)/ JS(BP&PD)
9. Director(P)/Director(FCI)/DS(PD)/Director(Finance)/JC(S&R)
10. All SGC/IGMRI/QCC Offices
11. US(BP-I) US(BP-II)/US(Py.I, II, IV)
12. DC(S&R)/DD(S)/DD(TFC)/DD(SGC)/DD(QCC)/AD(Lab)/AD(S)/ AD,QCC(I/II/III)/AD(SGC)
13. Director(Technical),NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

28/3/05

( B.C.Joshi )
Deputy Director(S&R)
Tel: 23384398

पत्रांक 966 /XIX/2005

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

(2) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
देहरादून/हल्द्वानी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

दिनाँक : देहरादून: 18 जून, 2005।

विषय :- **विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत रबी/खरीफ खाद्यान्नों के परिवहन दरों के निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा स्थानीय परिवहन हेतु भौतिक शैड्यूल दरों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत खरीदे गये रबी/खरीफ खाद्यान्नों के संचरण की व्यवस्था केन्द्रीय/स्टेट पूल निर्गत हेतु, जैसी भी स्थिति हो, समय से कर ली जाये। इस सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. **परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था :-**

खाद्यान्न के परिवहन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम तथा विभाग में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मों से टेक्निकल बिड प्राप्त की जाए तथा जो ठेकेदार अर्हता पूर्ण करते हों उन्हीं को निविदा में सम्मिलित किया जाए। ठेकेदारों की नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों/फर्मों को वरीयता दी जाय जिनके पास अपनी निजी ट्रकें हो तथा जिनकी ख्याति/साख अच्छी हो एवं ईमानदार हो । लाईसेंस प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों को यथा संभव ठेकेदार नियुक्त न किया जाए । सम्बन्धित क्रय एजेन्सी तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन ठेकेदार बिचौलियों का कार्य न कर पायें ।

परिवहन ठेकेदार के पास जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र तथा ठेकेदार के पास कम से कम दो ट्रकों का स्वामित्व भी अवश्य होना चाहिए । संबंधित ठेकेदार द्वारा उत्तरांचल राज्य में कारोबार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति अवश्य प्राप्त करनी होगी । ठेकेदार के पास स्थायी कार्यालय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न परिवहन हेतु ठेका लेने वाली फर्म यदि आयकर विभाग में पंजीकृत है, तो उस दशा में फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा उत्तरांचल परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परिवहन लाईसेंस संबंधित फर्म के पास उपलब्ध होना चाहिए ।

इस निमित्त नियुक्त परिवहन ठेकेदारों द्वारा अपने हस्ताक्षर के नमूने एवं अपने सभी ट्रकों की **रजिस्ट्रेशन संख्या** प्रत्येक क्रय केन्द्र पर उपलब्ध करायी जायेगी। परिवहन ठेकेदारों को यह आदेश दिए जायेंगे कि जब भी वह ट्रक को प्रयोग के लिए भेजें तो ट्रक के ड्राइवर के हस्ताक्षर को भी सत्यापित करके भेजें ताकि क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सकें कि ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजी गयी है । यदि किसी कारणों से परिवहन ठेकेदार अपने एजेन्ट को उक्त कार्य हेतु नामित करना चाहता है तो वह उसकी लिखित सूचना देगा और उसके हस्ताक्षर के नमूने को सम्बन्धित अधिकारी को

क्रमशः दो पर....

प्रेषित करेगा ।

2. **परिवहन दरों का निर्धारण :-**

परिवहन की दरों का निर्धारण सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। अतएव विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारी रबी/खरीफ सत्रों के लिए परिवहन दरें समय से निर्धारित कर दें ताकि ठेकेदारों के अभाव में क्रय केन्द्रों पर गेहूँ/धान का न तो जमाव हो सके और न ही क्रय एजेन्सियों को तदर्थ व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़े।

परिवहन ठेकेदारों के लिए दरों के निर्धारण में एकरूपता रखने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को दूर करने तथा दुर्विनियोग आदि को रोकने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा जनपद की वास्तविक तथा व्यवहारिक स्थानीय दूरी को संज्ञान में रखते हुये सम्भागीय परिवहन अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, पी०सी०एफ०, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, यू०पी० एग्रो, उपभोक्ता सहकारी संघ तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक से तत्समय परिवहन की प्रचलित बाजार दरें (डिटेंशन अवधि) ज्ञात करने के पश्चात दरें तय की जायेंगी। इस सम्बन्ध में यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि निर्धारित परिवहन दरें पूरे जनपद हेतु व्यवहारिक हों, जिससे की सभी क्रय संस्थाओं को परिवहन ठेकेदार उपलब्ध हो सकें। परिवहन ठेकेदारों के लिए परिवहन की दरें तथा ट्रकों की व्यवस्था के लिए शासनादेश संख्या पी 372/29 मे० 1.5(12)/79 दिनांक 09-04-1979 के प्रस्तर 2 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

3. **ठेकेदारों की नियुक्ति :-**

परिवहन ठेकेदारों को टेन्डर के आधार पर नियुक्त करने में निम्नलिखित मापदण्ड रखा जाना सुनिश्चित किया जाये :

(अ) परिवहन ठेकेदारों हेतु अर्हता निर्धारित की जाए तथा उन ठेकेदारों का ही पंजीकरण विभाग में किया जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम, अच्छी ख्याति वाले व ईमानदार हैं तथा उनके पास स्वयं अपने ट्रक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। पंजीकरण से पूर्व ठेकेदारों के ट्रकों का सत्यापन परिवहन विभाग से करा लिया जाए तथा ऐसे ठेकेदारों का पंजीकरण न किया जाए जो संदिग्ध वृत्त वाले हों अथवा जिनके विरूद्ध खाद्यान्न के दुर्विनियोग के मामले पूर्व से ही प्रचलित हों अथवा जो इन अपराधों के लिए न्यायालय में दोषी सिद्ध हुए हों।

(ब) निविदा से पूर्व परिवहन ठेकेदारों से "टेक्निकल बिड" प्राप्त की जाए तथा जो ठेकेदार अर्हता को पूरा करते हैं उन्ही को निविदा में सम्मिलित किया जाए।

(स) भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित परिवहन दर से अधिक दर पर परिवहन व्यय कि प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। इसलिए टेण्डर के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही निविदायें स्वीकार की जायेंगी। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर की निविदा को निरस्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाये।

(द) केन्द्रों से खाद्यान्न के संचरण के समय चोरी/गबन/दुर्विनियोग को समाप्त किये जाने के उद्देश्य से यथासम्भव जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर ही परिवहन ठेकेदार नियुक्त किये जाए। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान समय में यह सम्भावना रहेगी कि टेण्डर के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से कम की दरें प्रस्तुत की जायें, जिनको स्वीकृत करने की दशा में सम्बन्धित संस्था को ऑडिट आपत्ति पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) कम की सीमा से कम दर की निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। 05 प्रतिशत से अधिक कमी वाली दरें अव्यवहारिक मानी जायेंगी तथा उन्हें निरस्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाये।

(य) शासन के वित्त विभाग द्वारा टेण्डर प्रतिक्रिया एवं पारदर्शिता निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 दिनांक 27-04-2001 के क्रम में प्राप्त टेण्डरों के

क्रमशः तीन पर.....

निविदाताओं से निगोसिएशन सामान्यतः न किया जाए। एक से अधिक एक ही दर की प्राप्त निविदा को पक्षकारों के समक्ष लाटरी के द्वारा अन्तिम रूप दिया जाए।

4. **ठेकेदारों से अनुबंध :-**

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-पी०-372/29 गेहूँ-1-5(12)/79 दिनांक 09-04-1979 के प्रस्तर-8 के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के आधार पर ट्रको की आवश्यकता का आंकलन करते हुए अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाए कि न्यूनतम संख्या में ट्रकों की उपलब्धता उसके पास सदैव होगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि ठेकेदार के अनुबन्ध पत्र भराने के बाद ही परिवहन कार्य कराना प्रारम्भ किया जाए।

5. **जमानत की धनराशि :-**

नियुक्त परिवहन ठेकेदारों से रूपये 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की नकद जमानत और क्रय केन्द्र पर जिस दिन की सर्वाधिक खरीद हुई हो, खरीद की मात्रा का उल्लेख करते हुए उसकी मात्रा के मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि के बराबर फैडिलिटी बॉण्ड लिया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि बीमा कम्पनियाँ फैडिलिटी बॉण्ड निर्गत नहीं करती हों तो सम्बन्धित ठेकेदार से उस धनराशि की बैंक गारण्टी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

अपवाद स्वरूप जहाँ क्रय की मात्रा काफी कम होने के कारण परिवहन कार्यों को सम्पादित कराने में कठिनाई हो रही हो वहाँ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत् रखते हुये जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 15,000 (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) तक रख सकते हैं, लेकिन इस कारण यदि शासन को क्षति होती है तो उसके लिये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबन्ध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा जो परिवहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. **क्षति की वसूली :-**

यदि परिवहन ठेकेदार से खाद्यान्न की क्षति होती हो तो उस क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के मूल्य के 1.5 (डेढ़) गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जाये। इस शर्त को भी अनुबंध की शर्तों में सम्मिलित किया जाये। ऐसे सभी मामलों का विवरण वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल को भेजा जायेगा।

**खाद्य विभाग के केन्द्रों पर खाद्यान्न/लेवी चीनी, मृत स्कंधों के हैण्डलिंग एवं स्थानीय परिवहन के शैड्यूल की सांकेतिक दरें संलग्नक में उल्लिखित मानक के आधार पर होगीं।**

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय आय व्ययक में लेखाशीर्षक "4408" खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूंजी परिव्यय-आयोजनेत्तर-01- खाद्य-101 खरीद और पूर्ति 03-अन्नपूर्ति योजना 31-सामग्री तथा सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किए जा रहे हैं कि उक्त व्यय भरत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति करा ली जाएगी। उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उसके अनुबन्ध पत्र भराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

**(पी०सी० शर्मा)**
सचिव।

परिशिष्ट-2



संख्या : 966 (I)/XIX/2005, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, उत्तराँचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या 966(II)/XIX/2005 तददिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराँचल शासन, देहरादून ।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराँचल देहरादून ।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल ।
4. अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल ।
5. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उत्तराँचल ।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराँचल ।
7. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक विभाग, उत्तराँचल ।
8. मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल।
9. समस्त वरिष्ठ/संभागीय वित्त अधिकारी (खाद्य ), कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग।
10. समस्त संभागीय विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग ।
11. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून ।
12. प्रबन्ध निदेशक, समस्त क्रय संस्थाएं, उत्तराँचल ।
13. वित्त अनुभाग-3 उत्तराँचल शासन ।
14. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, खाद्य उत्तराँचल।
15. निदेशक, एन०आईसी० सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

Transportation\Childs\cal 2

संलग्नक

# खाद्य विभाग के केन्द्रों पर खाद्यान्न/लेवी चीनी मृत स्कंधों के हैण्डलिंग एवं स्थानीय परिवहन के शैड्यूल की सांकेतिक दरें।

| क्र० सं० | मद संख्या | कार्य का विवरण | भविष्य के लिए प्रस्तावित | |
|---|---|---|---|---|
| | | | शैड्यूल की 95 कि०ग्राम भर्ती हेतु | सांकेतिक दर 50 कि०ग्राम भर्ती के 02 बोरों हेतु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | (अ) | **1 से 8 कि०मी० की परिधि में रेलवे स्टेशन से स्थानीय ढुलाई अथवा इसके विपरीत कार्य**<br>खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों को वैगन/रैक्स से उतारना, प्लैटफार्म/गुड्स शेड/माल गोदाम पर रखना, ट्रक में लादना, स्थानीय परिवहन सहित ट्रक से उतारना, राजकीय/सप्लायर्स गोदाम में प्रापर छल्ली लगाना (वैगन/रैक्स में प्रयोग हेतु डनेज बोरों की ढुलाई सहित)।<br>अथवा इसके विपरीत कार्य<br>(क) उपरोक्त कार्य 10 प्रतिशत तौल पर।<br>(ख) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर।<br>(बीम स्केल अथवा धर्म कांटा से तौल सहित) | <br><br><br><br><br>5.10<br>6.00 | <br><br><br><br><br>6.20<br>7.10 |
| | (ब) | **1 से 20 कि०मी० की परिधि में रेलवे स्टेशन से स्थानीय ढुलाई अथवा इसके विपरीत कार्य**<br>उपरोक्त मद सं0 1(अ) में अंकित समस्त कार्य<br>(क) उपरोक्त कार्य 10 प्रतिशत तौल पर।<br>(ख) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर।<br>(बीम स्केल अथवा धर्मकांटा से तौल सहित) | <br><br>7.30<br>8.20 | <br><br>8.30<br>9.20 |
| | (स) | रेलवे वैगन/रैक्स से खाद्यान्न/लेवी चीनी के भरे बोरों को उतारना, रेलवे प्लेटफार्म / गुड्स शेड/माल गोदाम पर चौकाने का कार्य। | 0.75 | 0.98 |
| 2. | (अ) | **1 से 8 कि०मी० की परिधि में रेलवे स्टेशन / अन्य गोदाम से स्थानीय ढुलाई अथवा इसके विपरीत कार्य।**<br>खाद्यान्न/लेवी चीनी के भरे बोरों को रेलवे प्लेटफार्म/गुड्स शेड/माल गोदाम/भारतीय खाद्य निगमों डिपो गोदाम / प्रादेशिक सहकारी संघ गोदाम से | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | राजकीय गोदाम अथवा सप्लायर्स गोदाम तक स्थानीय ढुलाई (लोडिंग/अनलोडिंग/चौकायी सहित)। | | |
| | | (क) उपरोक्त कार्य 10 प्रतिशत तौल पर। | 4.85 | 5.85 |
| | | (ख) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर। | 5.75 | 6.75 |
| | | (बीम स्कैल अथवा धर्मकांटा से तौल सहित) | | |
| | (ब) | 1 से 20 कि०मी० की परिधि में रेलवे स्टेशन / अन्य गोदाम से स्थानीय ढुलाई अथवा इसके विपरीत कार्य। | | |
| | | उपरोक्त मद सं0 2 (अ) में अंकित समस्त कार्य। | | |
| | | (क) उपरोक्त कार्य 10 प्रतिशत तौल पर। | 7.10 | 8.00 |
| | | (ख) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर। | 8.00 | 8.20 |
| | | (बीम स्केल अथवा धर्मकांटा से तौल सहित) | | |
| 3. | 3 | खाद्यान्न / लेवी चीनी के बोरो की गोदाम अथवा निर्देशानुसार चौकायी स्थान से निकालकर प्रेषण हेतु ढुलाई वाहन में लदायी का कार्य | | |
| | | (एस.डब्लू.सी./सी.डब्लू.सी. के गोदाम को छोड़कर) | | |
| | | (क) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर। | 1.25 | 1.60 |
| 4. | 4 | दुकानदारों अथवा अन्य संस्थाओं के खाद्यान्न / लेवी चीनी के भरे बोरों का निर्गमन। | | |
| | | राजकीय गोदाम अथवा चौकायी स्थान अथवा छल्ली से उठाकर तौल स्थान पर निर्गमन हेतु प्रॉपर चौकायी का कार्य। | | |
| | | (क) उपरोक्त कार्य 10 प्रतिशत तौल पर।<br>(ख) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर। | 1.09<br>1.40 | 1.40<br>1.80 |
| 5. | 5 | खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों का सत्यापन। | | |
| | | चौकायी स्थान/छल्ली से बोरो को उठाकर बीम स्केल पर रखना/तौल करना/बीम स्केल से उतारकर गोदाम के अन्दर या बाहर प्रॉपर छल्ली में चौकायी। | 1.61 | 2.09 |
| 6. | 6 | खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों की शिफ्टिंग | | |
| | | बिना वाहन के प्रयोग के बोरों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में अलग-अलग गोदाम प्रभारी होने की स्थिति में सिलाई तथा प्रॉपर चौकायी/छल्ली लगाना। | | |
| | | (क) उपरोक्त कार्य 10 प्रतिशत तौल पर। | 1.94 | 2.52 |
| | | (ख) उपरोक्त कार्य 100 प्रतिशत तौल पर। | 2.62 | 3.40 |

पत्रांक ९66 /...



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | (ग) एक ही गोदाम के एक कमरे (प्लाट) से दूसरे कमरे/प्लाट में शिफ्टिंग एवं चौकायी। | 1.22 | 1.59 |
| | | (घ) एक ही गोदाम की एक छल्ली से उठाकर दूसरी छल्ली लगाना या प्रॉपर चौकायी। | 0.70 | 0.90 |
| | | (ङ) एक गोदाम की छल्ली से उठाकर दूसरे गोदाम में प्रॉपर छल्ली लगाना, दोनों गोदाम का एक ही गोदाम प्रभारी होने की स्थिति में। | 0.84 | 1.09 |
| 7. | 7 | **खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों को स्टैण्डर्ड बनाना।** चौकायी स्थान/छल्ली से बोरों को उठाकर 100 प्रतिशत तौलना, बोरों के मुँह की कटायी, खाद्यान्न बोरों में डालना अथवा निकालना तथा एक कुन्टल या निर्देशानुसार भरवायी, सुतली के प्रयोग सहित सिलायी करना तौल के स्थान से बोरे उठाकर गोदाम में अथवा निर्देशानुसार छल्ली लगाना। | 2.22 | 2.89 |
| 8. | 8 | **खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों की सफायी।** चौकायी स्थान/छल्ली से बोरों को उठाकर 100 प्रतिशत तौल करना, बोरों के मुँह की कटायी उपरान्त खाद्यान्न की छलने से छनायी करना, साफ खाद्यान्न को बोरों में मानक वजन में भरना, सुतली के प्रयोग सहित सिलाई करना, तौल स्थान से बोरे उठाकर गोदाम अथवा निर्देशानुसार छल्ली लगाना। **(वास्तविक प्राप्त बोरों के आधार पर भुगतान देय होगा।)** | 3.65 | 4.75 |
| 9. | 9 | **खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों का सुखाना।** चौकायी स्थान/छल्ली से बोरों को उठाकर 100 प्रतिशत तौल करना, बोरों के मुँह को काटकर खाद्यान्न को सूखे फर्श पर गोदाम के अन्दर या बाहर फैलाना, समय-समय पर खाद्यान्न की पलटायी करना, सुखाये गये खाद्यान्न की बोरों में मानक वजन में भरना, सुतली के प्रयोग सहित बोरों की सिलायी ... निर्देशानुसार छल्ली लगाना। | 4.80 | 6.2[illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | 10 | खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों की दड़ा कराई (मिक्सिंग)<br>छल्ली/चौकाई स्थान से बोरे निकालकर 100% तोलना, बोरों के मुँह को खोलकर गोदाम के अन्दर या बाहर फर्श पर खाद्यान्न फैलाना, खाद्यान्न की मिक्सिंग करना, खाद्यान्न को बोरों में मानक वजन में भरना, सुतली के प्रयोग सहित बोरों की सिलाई करना तथा गोदाम अथवा निर्देशानुसार छल्ली लगाना (वास्तविक प्राप्त बोरों के आधार पर भुगतान देय होगा)। | 3.45 | 4.47 |
| 11. | 11 | खाद्यान्न/लेवी चीनी से भरे बोरों की रिबैगिंग।<br>छल्ली/चौकाई स्थान से बोरा उठाकर बोरों का मुँह खोलना, एक बोरे से दूसरे बोरे में खाद्यान्न भरकर मानक वजन करना, सुतली के प्रयोग सहित बोरों की सिलाई करना तथा गोदाम अथवा निर्देशानुसार छल्ली लगाना। | 1.65 | 2.15 |
| 12. | (अ) | खाली बोरों का बण्डल लगाना।<br>खाली हुए बोरों की चौकाई, स्थान से उठाकर उपयोगी / अनुपयोगी /नये बोरों को छाँटना, उनका अलग-अलग बण्डल बनाना तथा टाट पट्टी के प्रयोग सहित सिलाई करना तथा तैयार बण्डल की गोदाम अथवा निर्देशानुसार चौकाई करना। | | |
| | | (क) 300 से 500 बोरों का बण्डल/बेल बनाना। | 8.80 | 8.80 |
| | | (ख) 100 से 200 बोरों का बण्डल बनाना। | 3.80 | 3.80 |
| | | (ग) 25 से 30 बोरों का बण्डल बनाना। | 1.30 | 1.30 |
| | (ब) | बोरों की मरम्मत का कार्य।<br>सुतली के प्रयोग सहित खाली बोरों की मरम्मत करके उपयोग बनाना। | 1.20 | 1.20 |
| | (स) | खाली बोरों / गाँठ / बण्डल की केवल उतराई एवं गोदाम में चौकाई अथवा गोदाम से निकालकर लदाई। | | |
| | | (क) 300 से 500 बोरों की गाँठ। | 6.80 | 6.80 |
| | | (ख) 100 से 200 बोरों का बण्डल। | 2.15 | 2.15 |
| | | (ग) 25 से 50 बोरों के बण्डल। | 0.70 | 0.70 |
| 13. | 13 | मृत स्कन्धों की स्थानीय ढुलाई।<br>रेलवे स्टेशन / प्लेटफार्म / माल गोदाम से राजकीय गोदाम तक स्थानीय ढुलाई लदाई उतराई चौकाई | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | सहित या इसके विपरीत कार्य या एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक स्थानीय ढुलाई, लदाई, उतराई चौकाई सहित। | | |
| | | (क) गमैक्सीन से भरा ड्रम/मृत स्कंध से भरे बोरे। | 2.95 | |
| | | (ख) फ्यूमिगेशन टैन्ट। | 6.00 | |
| | | (ग) 300 से 500 बोरों वाले बेल्स (गांठ) | 15.00 | |
| | | (घ) 100 से 200 बोरों वाले बण्डल। | 3.75 | |
| | | (ड) 25 से 50 बोरों वाले बण्डल। | 1.50 | |
| | | (च) पेडीहरक के बोरे। | 1.20 | |
| | | (छ) त्रिपाल के बण्डल। | 2.75 | |
| | | (ज) 50 चटाई के बण्डल। | 1.75 | |
| | | (झ) 10 चटाई के बण्डल। | 0.70 | |
| | | (ट) तारकोल के ड्रम। | 7.60 | |
| | | (ठ) लकड़ी के क्रेट्स। | 1.95 | |
| | | (ड) पॉलीथिन रोल्स। | 3.25 | |
| 14. | 14 | किराये पर पैट्रोमैक्स का प्रयोग | | |
| | | पूरी राशि के लिये कैरोसीन ऑयल, ऑयल सहित पैट्रोमैक्स का किराया (शैडयूल दरों से अधिक / कम का प्रभाव इस मद हेतु नहीं होगा)। | 30.00 | |
| 15. | (अ) | गोदाम में मजदूरों का प्रयोग | | |
| | | फ्यूमीगेशन टैन्ट/स्टैक कवर को स्टैक/छल्ली पर फैलाकर लगें और मिट्टी का गारा लगाकर एयर टाइट करने अथवा इसके विपरीत कार्य प्रतिदिन आठ घंटे के लिये (मिट्टी का गारा बनाने एवं लगाने के कार्य सहित) | 45.00 | |
| | | (शेड्यूल की दरों से अधिक/कम का प्रभाव इस मद हेतु नहीं होगा)। | | |
| | (ब) | गोदाम में बिखरे खाद्यान्न की सफाई एवं इकट्ठा करके बोरों में भराई का कार्य प्रतिदिन 8 घंटे के लिये (यथासम्भव महिला मजदूर से यह कार्य लिया जाये)। | | |
| | | (क) पुरुष मजदूर के लिये | 30.00 | |
| | | (ख) महिला मजदूर के लिये | 30.00 | |
| | | (शैडयूल दरों से अधिक/कम का प्रभाव इस मद हेतु नहीं होगा) | | |

समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनांक .....तक का विवरण

(आकंडे मी0टन में)

अ–

| क्रमांक | क्रय संस्था का नाम | प्रगतिशील खरीद | प्रगतिशील डिलीवरी (मी0टन में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्टेटपूल | भा0खा0नि0(सेन्ट्रल) | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | खाद्य विभाग (विपणन शाखा) | | | | |
| 2 | सहकारिता विभाग,उत्तरांचल | | | | |
| 3 | भारतीय खाद्य निगम | | | | |
| 4 | उत्तरांचल एग्रो इकाई | | | | |
| | कुल योग | | | | |

ब– गेहूँ की प्रगतिशील आवक.....

स– प्रचलित बाजार दर..(प्रति कुन्टल)..... .....1. न्यूनतम

2. अधिकतम

जिला खरीद अधिकारी

जनपद.....